




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 327 ]  
No. 327 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1998/ज्येष्ठ 5, 1920  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1998/JYAISTHA 5, 1920

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1998

प्रलेख सं. सीडी-159/98

का.आ. 455 (अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ अड़तीसवां संशोधन) नियम, 1998 है ।  
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की,—
  - (1) प्रथम अनुसूची में,—
    - (क) “3. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय ” शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“3. नागर विमानन मंत्रालय”;
    - (ख) “10. वित्त मंत्रालय”, शीर्षक के अधीन “(v) कम्पनी कार्य विभाग” उप-शीर्षक का लोप किया जाएगा;
    - (ग) “19. विधि और न्याय मंत्रालय” शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :—  
“19. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय  
(i) विधि कार्य विभाग  
(ii) विधायी विभाग  
(iii) न्याय विभाग  
(iv) कंपनी कार्य विभाग”;
    - (घ) “20. खान मंत्रालय” शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(ड) "30. इस्पात मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(क) "30. इस्पात और खान मंत्रालय

(i) इस्पात विभाग

(ii) खान विभाग";

(च) "32. वस्त्र मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"32क. पर्यटन मंत्रालय";

(छ) "35. कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"35. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" ।

(2) दूसरी अनुसूची में,—

(क) (i) "नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक और "क. नागर विमानन विभाग" उप-शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"नागर विमानन मंत्रालय"

1. वायुयान और वायु दिक्खालन, हवाई अड्डों की व्यवस्था, हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, वायु दिक्खालन से संबंधित स्वच्छता नियंत्रण के सिवाय विनियमन और संगठन ।
  2. वायु दिक्खालन से संबंधित तथा अन्य सहायता की व्यवस्था ।
  3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन ।
  4. इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गनाइजेशन (आई. सी. ए. ओ.)
  5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई. ए. टी. ए.) ।
  6. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी.ए.टी.सी.) ।
  7. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनाटिकल रिसर्च काउंसिल (सी.ए.ए.आर.सी.) ।
  8. एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी समनुषंगी ।
  9. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और इसकी समनुषंगी ।
  10. भारतीय होटल निगम और इसकी समनुषंगी ।
  11. आयुक्त, रेल सुरक्षा ।
  12. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ।
  13. पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड और इसकी समनुषंगी ।
  14. कृषि विमानन ।
  15. नागर विमानन महानिदेशालय ।
  16. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ।
  17. वायुदूत लिमिटेड ।
  18. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ।
  19. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन ।
  20. सिविल उपयोग के लिए वायुयान और वायुयान-घटकों का उत्पादन ।
  21. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुज्ञप्तियां/प्रमाणपत्र/अनुमोदन जारी करना ।
  22. निजी विमान परिवहन (स्थोरा सहित) उद्योग ।
  23. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध ।
  24. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।
  25. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इसमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें सम्मिलित नहीं हैं ।
  26. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबंधित संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।";
- (ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन उपशीर्षक "ख. पर्यटन विभाग" और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(ख) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "कंपनी कार्य विभाग" उप-शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।;

(ग) (i) "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय";

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन उपशीर्षक "ग. न्याय विभाग" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"घ. कंपनी कार्य विभाग

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का प्रशासन ।
2. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 (1951 का 54) का प्रशासन ।
3. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का प्रशासन ।
4. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ।
5. लेखा-वृत्ति [चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38)] लागत और संकर्म लेखा-वृत्ति [लागत और संकर्म एकाउंटेंट अधिनियम 1959 (1959 का 23)], कंपनी सचिवत्व वृत्ति [कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56)] ।
6. कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण ।
7. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय कृत्यों का प्रयोग (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है) ।
8. उपर्युक्त मदों में से किसी के बारे में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व ।
9. केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण और कृत्यों के प्रयोग से संबंधित विधान ।";

(घ) "खान मंत्रालय" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।;

(ङ) "इस्पात मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, उपशीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"इस्पात और खान मंत्रालय

क. इस्पात विभाग ।

1. पब्लिक और प्राइवेट सैक्टरों में इस्पात संयंत्र, रिरोलिंग उद्योग तथा लौह मिश्रित धातुओं, जिनके अंतर्गत सभी तरह का भावी विकास शामिल है ।
2. पब्लिक सैक्टर में लौह अयस्क खानों का विकास ।
3. अन्य अयस्क खानों तथा कोयला प्रक्षालित्रों का विकास और इस्पात संयंत्रों के लिए खनिज का प्रसंस्करण ।
4. लोहा और इस्पात तथा लौह मिश्रित धातुओं का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात और निर्यात ।
5. सभी लोहा और इस्पात उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता ।
6. इस्पात उद्योग में प्रयुक्त लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना-पत्थर, सिलिमैनाइट, कायनाइट और अन्य खनिजों तथा मिश्रित धातुओं, जिनके अंतर्गत मेगनसाइट और उच्चतापसह द्रव्य भी हैं, किन्तु जिनके अंतर्गत खनन पट्टे या उससे संबंधित पदार्थ नहीं हैं, का उत्पादन, प्रदाय, मूल्यांकन और वितरण ।
7. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां ।
8. निम्नलिखित उपक्रमों से संबंधित मामले अर्थात् :—
  - (1) विश्वेश्वरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ।
  - (2) दि बोलानी ओर्स (इंडिया) लिमिटेड ।
  - (3) दि मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड ।
  - (4) दि मेटल्स स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन ।
9. ऐसे विषय जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टता या आर्बिट्रिस किए गए हैं उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन अन्य पब्लिक सैक्टर उद्यम या उपक्रम ।
10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी विषय से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

- (क) (1) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधायन जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के भीतर या भारत या अन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, समुद्र अधःशायी खानों और खनिज भी हैं ।
- (2) कोयला, लिग्नाइट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्राधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजनों के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित किसी, खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक मामले भी हैं ।
2. सभी ऐसी अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य विभाग को आबंटित नहीं हैं जैसे अल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरे, सीसा और निकल ।
  3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।
  4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।
  5. भारतीय खान ब्यूरो ।
  6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
  7. दि सिविकम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
  8. ऐसे विषय जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए हैं, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपक्रम ।
  9. मैटलार्जिकल ग्रेड सिलिकोन ।”;
- (घ) “वस्त्र मंत्रालय” शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक ओर उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “पर्यटन मंत्रालय
1. पर्यटन विकास ।
  2. भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल या मोटल ।
  3. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।”;
- (छ) “कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ।”।

के .आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/98-मंत्रि.]

मनोरंजन, संयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 1998

**Doc. CD-159/98.**

**S.O. 455 (E).**— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Thirty eight Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

- (a) for the heading "3. Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Vimanan aur Paryatan Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted, namely :—  
"3. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)";
- (b) under the heading "10. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)", the sub-heading "(iv) Department of company Affairs (Kampany Karya Vibhag)" shall be omitted;
- (c) for the heading "19. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely :—  
"19. Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampany Karya Mantralaya)  
(i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag)  
(ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag)  
(iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag)  
(iv) Department of Company Affairs (Kampany Karya Vibhag)";
- (d) the heading "20. Ministry of Mines (Khan Mantralya)" shall be omitted;
- (e) for the heading "30. Ministry of Steel (Ispat Mantralaya)", the following heading and sub-headings, shall be substituted, namely :—  
"30. Ministry Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya)  
(i) Department of Steel (Ispat Vibhag)  
(ii) Department of Mines (Khan Vibhag)";
- (f) after the heading "32. Ministry of Textiles (Vastra Mantralaya)"; the following headings shall be inserted, namely :—  
"32A. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)";
- (g) for the heading "35 Ministry of Welfare (Kalyan Mantralaya)", the following heading shall be substituted, namely :—  
"35. Ministry of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya aur Adhikartia Mantralaya)";
- (2) in the Second Schedule,—
- (a) (i) For the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (NAGAR VIMANA AUR PARYATAN MANTRALAYA)" and the sub-heading "A. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN VIBHAG)" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely :—  
"MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)"
1. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitized control of air navigation.
  2. Provision of navigational and other aids relating to air navigation.
  3. carriage of passengers and goods by air.
  4. International Civil Aviation Organisation (ICAO).
  5. International Air Transport Association (IATA).
  6. Commonwealth Air Transport Council (CATC).
  7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).
  8. Air India Limited and its subsidiaries.
  9. Indian Airlines Limited and its subsidiaries.
  10. Hotel Corporation of India and its subsidiaries.
  11. Commissioners of Railways Safety.
  12. Airports Authority of India (AAI).
  13. Pawan Hans Helicopters Limited and its subsidiaries.
  14. Agricultrual Aviation.
  15. Directorate General of Civil Aviation.
  16. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.
  17. Vayudoot Limited.
  18. Bureau of Civil Aviation Security.

1420 41/98-2

19. Administration of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).
  20. Production of aircraft and aircraft components for civil use.
  21. Issuing of technical licences/Certificates/approval for the use of civil aircraft.
  22. Private Air Transport (including Cargo) Industry.
  23. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.
  24. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
  25. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.
  26. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.”;
- (ii) under the heading “MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)”, as so substituted, the sub-heading “B. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)” and the entries relating thereto shall be omitted ;
- (b) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”, the sub-heading “DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)” and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) (i) for the heading “MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)”, the following heading shall be substituted, namely :—  
 “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)”;
- (ii) under the heading “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KRYA MANTRALAYA)”, as so substituted, after the sub-headings “C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)” and the entries relating thereto, the following sub-heading and the entries relating thereto shall be added, namely :—  
 “D. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)
1. Administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
  2. Administration of the Companies (Donations of National Funds) Act, 1951 (54 of 1951).
  3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).
  4. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.
  5. Profession of Accountancy [Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949)]; Profession of Costs and Works Accountancy [Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959)]; Profession of Company Secretaries [Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)].
  6. Collection of Statistics relating to Companies.
  7. Legislation relating to law of Partnership and the exercise of certain functions under Chapter VII of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) in centrally administered areas. (The administration of the Act vests in the State Governments).
  8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.
  9. Legislation in relation to societies registration and exercise of functions under the Societies registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas.”;
- (d) the heading “MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)” and the entries relating thereto shall be omitted;
- (e) for the heading “MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries shall be substituted, namely :—  
 “MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
- A. DEPARTMENT OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)
    1. Steel Plants in the public and private sectors, the re-rolling industry and ferro-alloys, including all future developments.
    2. development of iron ore mines, in the public sector.
    3. Development of other ore mines and coal washeries and mineral processing for the steel plants.
    4. Production, distribution, prices, imports and exports of iron and steel and ferro-alloys.
    5. Planning, development and control of, and assistance to, all iron and steel industries.

6. Production, supply, pricing and distribution of iron ore, manganese ore, limestones, Sillimanite, kyanite and other minerals and alloys used in steel industry including magnesite and referactories but excluding mining leases or matters connected therewith.
  7. The Steel Authority of India Limited and its subsidiaries.
  8. Matters relating to the following undertakings, namely :—
    - (1) Visvesvaraya Iron and Steel Limited.
    - (2) The Bolani Ores (India) Ltd.
    - (3) The manganese Ore (India) Ltd.
    - (4) The Metals Scrap Trading Corporation.
  9. Other public Sector Enterprises or Undertakings falling under the subjects included in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.
  10. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
- B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)**
1. (i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial water or the continental shelf, or the excluding economic zone and other maritime zone of India as may be specified, from time to time, by or under any law by Parliament.
  - (ii) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union a declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.
  2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
  3. Planning development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
  4. Geological Survey of India.
  5. Indian Bureau of Mines.
  6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
  7. The Sikkim Mining Corporation Limited.
  8. Public Sector Enterprises and undertakings falling under the subjects including in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.
  9. Metallurgical Grade Silicon.”;
- (b) after the heading “MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely :  
**MINISTRY OF TOURISM (PRAYATAN MANTRALAYA)**
1. Development of Tourism.
  2. India Tourism development Corporation and public Sector Hotels or Motels thereunder.
  3. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.”;
- (g) for the heading “MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA),” the following heading shall be substituted, namely :—  
**“MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA).”**

K. R. NARAYANAN  
 President

[File No. 1/22/1/98-Cab.]

MANO RANJAN, Jt. Secy.

